उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या : 903/XXX(2)/2012
देहरादून : दिनांक 05 सितम्बर, 2012

अधिसूचना

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश) 2001" की धारा 3(7) के विरूद्ध मा. उच्च न्यायालय, नैनीताल में दायर रिट याचिका संख्या 45(एस/बी)/2011 श्री विनोद प्रकाश नौटियाल व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य तथा सम्बद्ध अन्य रिट याचिकाओं में पारित मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.07.2012 के द्वारा उक्त अधिनियम की प्रोन्नति में आरक्षण से सम्बन्धित धारा 3(7) को अपास्त करते हुए यह आदेश दिये गये हैं कि इस प्राविधान के आधार पर भविष्य में पदोन्नति नहीं की जायेगी, किन्तु यदि संवैधानिक व्यवस्था एवं एम. नागराज के प्रकरण में मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार भविष्य हेतु प्रोन्नति में आरक्षण दिये जाने के विषय पर कोई कानून बनाती है तो यह निर्णय उक्त प्रक्रिया में बाधक नहीं होगा।

2. राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के अधीन लोक सेवाओं में प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम. नागराज व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार राज्य के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग का 'पिछड़ापन', लोक सेवाओं में 'प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता' तथा 'प्रशासन में कुशलता' के बिन्दुओं पर आंकड़े संग्रह करके उसका अध्ययन कर उक्त वर्गों के लिए लोक सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकार को संस्तुति एवं रिपोर्ट देने हेतु मा. न्यायमूर्ति (से.नि.) श्री इरशाद हुसैन की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय आयोग गठित करने का निर्णय लिया गया है। गठित आयोग द्वारा उक्तानुसार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सम्बन्ध में मात्रात्मक आंकड़े संग्रह कर उसका अध्ययन करते हुए अपनी संस्तुति एवं रिपोर्ट 3 माह के अंतर्गत राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी।

3. आयोग के अध्यक्ष की सेवा शर्तों एवं आयोग को कार्य सम्पादन के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति व परामर्श, आयोग का कार्यालय, कार्मिक तथा वाहन एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

संख्या : 903 / XXX(2) / 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल को महामहिम श्री राज्यपाल के संज्ञानार्थ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री को मा. मुख्य मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा को मा. अध्यक्ष, विधान सभा के संज्ञानार्थ।
4. समस्त निजी सचिव, मा. मंत्रीगण को मा. मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
7. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
9. मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमायूँ मण्डल।
10. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
अपर सचिव